बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

सं0 सं0– 10/नि0–04–(सेवा शुल्क)–06/2026.....५५१७...../ निबंधन की प्रक्रिया को पूर्णतः पेपरलेस किये जाने हेतु ई–स्टाम्प कोड की बिक्री एवं दस्तावेज निबंधन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए बिहार स्टाम्प (सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति एवं ई–स्टाम्प की आपूर्ति) नियमावली, 2026 यथा संशोधित के तहत सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। उक्त नियमावली के नियम–13 एवं 22 के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी सेवा प्रदाता द्वारा ई–स्टाम्प कोड बिक्री हेतु सेवा शुल्क एवं दस्तावेज निबंधन में विभिन्न सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दर निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

1. **(i) ई–स्टाम्प कोड बिक्री हेतु सेवा शुल्क:–**
   ई–स्टाम्प कोड बिक्री मूल्य की संग्रहित राशि का 0.50 प्रतिशत
   (न्यूनतम 10/–रूपये तथा अधिकतम 500/–रूपये)

   (ii) दस्तावेज निबंधन में विभिन्न सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दर:–

क्र0	दस्तावेज का प्रकार	पारिश्रमिक दर
1	मूल्यांकन पर आधारित मुद्रांक वाले दस्तावेज (दस्तावेज निबंधन में सेवा प्रदाता के लिए निर्धारित सभी कार्यों सहित)	1 लाख रूपये मूल्य तक:– **रू0 1,000/–(एक हजार रूपये)**
		1 लाख रूपये से ऊपर 5 लाख रूपये मूल्य तक:– रू0 **2,500/–(दो हजार पाँच सौ रूपये)**
		5 लाख रूपये मूल्य से ऊपर:– **रू0 5,000/–(पाँच हजार रूपये)**
2	क्रम संख्या– 1 से भिन्न अन्य सभी प्रकार के दस्तावेज के लिए	**रू0– 1,000/–रूपये**

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(सुशील कुमार सुमन)
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:– 10/नि0–04–(सेवा शुल्क)–06/2026.....५५१७...../ पटना, दिनांक ....13.07.26....

प्रतिलिपि:– सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक/सभी संयुक्त अवर निबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला अवर निबंधक/अवर निबंधक को निदेशित किया जाता है कि उक्त दर को कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

13.7.26
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना